न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण संख्या 10/2024 (GCMS 2024/217)

1. **रमेश चन्द्र शर्मा** स्व. मुन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 25 एकता कॉलोनी, वार्ड नम्बर 44, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

– अपीलांटस

<u>बनाम</u>

1. **सतीश शर्मा** पुत्र श्री रमेश चन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 25 एकता कॉलोनी, श्रीगंगानगर
2. **सपना** पत्नी सतीश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 25 एकता कॉलोनी, वार्ड नम्बर 44 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

– रेस्पोडेंटस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>05.12.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रमेश चन्द्र शर्मा एवं रेस्पोडेंट संख्या 01– सतीश शर्मा, रेस्पोडेंट संख्या 2– सपना उपस्थित हुए थे। अपीलार्थी की बहस दिनांक 27.11.20024 को एवं अप्रार्थीगण की बहस दिनांक 04.12.2024 को सुनी जा चुकी है।

अपीलार्थी श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने कथन किया कि वह एक 73 वर्षीय वृद्ध बीमार एवं विकलांग व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 उसका पुत्र है व अप्रार्थी संख्या 2 उसकी पुत्रवधु है। प्रार्थी के पास मकान नम्बर 25 एकता कॉलोनी, वार्ड नम्बर 44, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर में बंद गली में 28 गुणा 38 फुट का है। **<u>प्रार्थी बीएसएफ से रिटायर्ड पुजारी है, जिसकी उसको मासिक पेंशन मिलती है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है।</u>**

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी वर्ष 1998 तक प्रार्थी के घर में रहे लेकिन बाद में झगड़ा कर[illegible] पर प्रार्थी ने इन्हें पारिवारिक समझौते के तहत लि[illegible] को इनका हिस्सा देकर अलग कर दिया था, [illegible] हाजिर थे। इसके [illegible]जूद भी अप्रार्थी द्वारा समय समय पर उसे व उ[illegible] पत्नी को मारने की [illegible]की देने

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:27 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पर प्रार्थी ने दिनांक 10.11.2018 को दैनिक सीमा किरण अख़बार में सूचना निकलवाकर अप्रार्थी को अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 22.04.2024 को प्रार्थी अपनी पत्नी सहित अपने गांव ग्वालियर चला गया व मकान की चाबी निर्माण कार्य हेतु अप्रार्थी को दे गया, जहां अप्रार्थी ने अपने घर का सामान लाकर ऊपर के कमरों में डाल दिया व नीचे के मुख्य बैठक में ब्यूटी पार्लर खोलने हेतु ए.सी. लगवा लिया व अन्य तोड़फोड कर दी। दिनांक 30.04.2024 को जब प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ वापिस आया तो घर के हालात देखकर दंग रह गया व अप्रार्थी से पूछताछ की तो अप्रार्थी ने जवाब नहीं दिया तब प्रार्थी ने अपने नीचे के कमरे में ए.सी. हटा दिया व अन्य तोड़ फोड ठीक करवा ली, जिससे अप्रार्थी को बहुत गुस्सा हो गए।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 25.05.2024 को अप्रार्थी एक राय बनाकर आये व उसे व उसकी पत्नी को जो कि अपने कमरे में बैड पर बैठे हुए थे, को मारपीट करने लगे व प्रार्थी तथा उसकी पत्नी को बिस्तर से नीचे गिरा दिया व दोनों ऊपर बैठकर मुक्कों से मारपीट करने लगे। प्रार्थी व उसकी पत्नी के चिल्लाने पर प्रार्थी का पोता भागकर आया व प्रार्थी व उसकी पत्नी को बड़ी मुश्किल से अप्रार्थी को छुडवाया।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी को कहा कि आपको आपका हिस्सा सन् 1998 में ही दे दिया गया तो अब आप, उसके मकान पर जबरन क्यों [illegible] खाली कर दो तब अप्रार्थी ने साफ कह दिया कि हम ऊपर के [illegible] नहीं करेगे, उल्टा नीचे के मकान पर भी जबरन [illegible] करेंगे व हमें [illegible] ने रोका तो अप्रार्थी संख्या 2 सपना की तरफ से दहेज प्रताड़ना का [illegible]कद्दमा करवाकर उसको जेल में डलवा देगें। प्रार्थी द्वारा मीरा चौक पुलिस चौकी को इतला देने पर उन्होनें कहा कि यह आपका घरेलू मामला है इसलिए अदालत से आदेश लाओ तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:27 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मकान खाली करवा देगें आदि आदि का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी यह अपील पेश कर रहे है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी स्वंय के द्वारा अपनी आय से उक्त मकान का निर्माण करवाया, अप्रार्थीगण उक्त मकान के शेष बचे हुए हिस्सा पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है तथा प्रार्थी को घर से बेदखल करना चाहते है जिस कारण से वह बार–बार प्रार्थी को किसी न किसी बहाने से तंग परेशान करते आ रहे है तथा प्रार्थी का जीना दुर्भर कर रखा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी के मकान पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। प्रार्थी के पास रहने का एक मात्र जरिया उक्त मकान है, हमारे पास कोई रोजगार भी नहीं है, परन्तु अप्रार्थीगण नहीं मानते तथा बार–बार प्रार्थी को तंग परेशान करते रहते है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के पास वर्तमान में आय इतनी नहीं है, जिससे वह अपना व अपनी पत्नी का गुजारा भत्ता कर सके तथा अपनी बीमारी व अन्य सुविधायें प्राप्त कर सके। अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने के आदेश दिये जावे ताकि प्रार्थी अपना जीवन शांति पूर्वक जी सके।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण को अपने वृद्ध माता पिता की सहायता करनी चाहिए परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऐसा न कर उसकी सम्पत्ति को हड़प करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजर अंदाज कर कानूनी भूल की है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी 73 वर्ष का नही है लेकिन अप्रार्थी विकलांग है। प्रार्थी घरों एवं मंदिरों में पूजा पाठ करता है जिससे उसे करीब 20 हजार रूपये प्रतिमाह इनकम होती है। प्रार्थी को बीएसफ से रिटायरर्ड पूजारी है जिसकी भी उसे पेंशन मिलती है। प्रार्थी को रिटारयमेन्ट पर करीबन 50 लाख रूपये मिले है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी व उसकी पत्नी ने दहेज की मांग को लेकर अत्यधिक तंग परेशान किया और अप्रार्थी ने पंचायत की थी और पंचायत ने उनका समझौता करवाया गया था। उक्त मकान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दिहाड़ी मजदूरी करने निर्माण करवाया गाया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध घरेलू हिंसा का प्रकरण **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश किया हुआ है, जिसकी कार्यवाही से बचने के लिए प्रार्थी ने यह प्रकरण पेश किया है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा कभी कोई लडाई झगड़ा नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 के विवाह के बाद, मकान छोटा पडने के कारण तथा मौके की परिस्थितियों को समझते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अलग से किराये का मकान लेकर रहने लग गये थे। इसी बीच जब छोटे दोनों भाईयों की नौकरी लग जाने के कारण मकान खाली हो गया और माता पिता की देखभाल करने वाला कोई नही रह गया तो पुनः अप्रार्थी संख्या 01 व 02 वापिस उक्त मकान में आकर रहने लगे और आज भी इसी मकान में रह रहे है व माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.18 15:42:27 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने अपने दोनों पुत्रों आशीष शर्मा व मनीष शर्मा से किसी प्रकार के खर्च की मांग नहीं की गई है और ना ही उनको पक्षकार बनाया गया है। इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 21, 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण में निवेदन किया था कि प्रार्थी का मकान अप्रार्थीगण से तुरन्त खाली करवाया जावे, प्रार्थी व उसकी पत्नी की अप्रार्थीगण से सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण को तुरन्त पाबन्द किया जावे ताकि प्रार्थी व उसकी पत्नी को कोई जानीमाली नुकसान ना हो और प्रार्थी को अप्रार्थीगण से 5,000/— रूपये मासिक खर्च दिलाया जावे व बतौर मुकद्दमा व वकील खर्चा 10,000/— दिलाया जावे व मकान तोड़फोड़ का खर्चा भी दिलाये जाने की प्रार्थना करने पर, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 25.09.2024 को निर्णय पारित कर निम्न आदेश दिया गया थाः

> चूंकि प्रार्थी **बी.एस.एफ. में पुजारी के पद से रिटार्यड है तथा सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहा** है जिससे वह अपना एवं **अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम है**। अतः इस हद तक प्रार्थीगण को कोई अनुतोष देय नहीं है। माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 अनुसार प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से अपनी सम्पत्ति मकान संख्या 25 एकता कॉलोनी, [illegible] संख्या 44, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर में बंद गली में 28 [illegible] फ[illegible] का दान के रूप में या अन्यथा अंतरण अप्रार्थी[illegible] में किसी शर्त के अधीन नहीं किया गया है। अतः इस हद तक प्रार्थी को कोई अनुतोष देय नहीं है। **प्रार्थी का प्रकरण भरण—पोषण का नहीं होकर सम्पत्ति विवाद है जो इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता का**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:27 IST
Reason: SelfAttested

नहीं है। अतः इस हद तक प्रार्थी को कोई अनुतोष देय नहीं है। प्रार्थी मकान के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 25.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

-sd-
(रणजीत कुमार$_{RAS}$)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 25.09.2024 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है, किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क) के अनुसार **पुत्रवधु सन्तान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है** इसलिए सपना अप्रार्थी संख्या 2 —पुत्रवधु इसलिए **अपीलार्थी अप्रार्थी संख्या 2 से किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं कर सकते है।**

जहां तक विवादित मकान नम्बर 25 एकता कॉलोनी, वार्ड नम्बर 44, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर का प्रश्न है, जो प्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड यूआईटी का पट्टाशुदा मकान है, जिसे प्रार्थी ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत अप्रार्थीगण से खाली करवाने की मांग की है। माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2(ख) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

2(ख) ''भरण पोषण'' के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,

माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत भरण पोषण के तहत भोजन, कपड़े, निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है। अपीलार्थी माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उक्त सम्पत्ति के विवाद के लिए किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं कर सकते है। अपीलार्थी **उक्त सम्पत्ति के विवाद हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी/अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:27 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकरण में यह देखना है कि क्या अपीलार्थीगण भरण पोषण करने में असमर्थ है और [illegible] पुत्र सतीश शर्मा से भरण पोषण का हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–

(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–

(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।

(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगा:

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

Signature Not Verif
Digitally signed by Manj
Date: 2025.07.23 15:32
Reason: SelfAttested

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी [illegible] से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी

ला कलक्टर
श्रीगंगानगर

दशा में धारा 9(2) के अनुसार 10,000/— तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है। किन्तु अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2024 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर अप्रार्थी को अपने मकान से बेदखल करने एवं भरण पोषण राशि दिलाने की मांग की है। अपीलार्थी स्वयं बीएसएफ से रिटायर्ड पुजारी है, जहां से उसे पेंशन प्राप्त होती है, जिसे अपीलार्थी स्वयं ने स्वीकार किया है। इसलिए **अपीलार्थी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अन्तर्गत अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है।** फिर भी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा अपीलार्थीगण को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील निस्तारित की जाती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 25.09.224 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:27 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट,
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर